राजस्थान सरकार

निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

सत्र 2013–14 के लिये प्रभावी

निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय/अनापत्ति

प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि/स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु

दिशा निर्देश

परिचय

शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। महाविद्यालयी शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से भी राजस्थान ने उत्तरोत्तर आगे कदम बढाये है। राजस्थान में इस समय 144 राजकीय महाविद्यालय, 7 स्ववित्त पोषी महाविद्यालय और 1274 गैर अनुदानित निजी महाविद्यालय संचालित हैं। सत्र 2001–02 से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढाने के उद्धेश्य से राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में महाविद्यालय संचालित करने हेतु निर्धारित मानदण्डों का उदारीकरण किया है। जिसके अन्तर्गत सत्र 2001–02 में 35, सत्र 2002–03 में 40, सत्र 2003–04 में 171, सत्र 2004–05 में 228, सत्र 2005–06 में 115 सत्र 2006–07 में 161, सत्र 2007–08 में 112, सत्र 2008–09 में 95, सत्र 2009–10 **में** 123 ,सत्र 2010–11 **में** 276, सत्र 2011–12 में 158 तथा सत्र 2012–13 में 111 नवीन निजी महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं, जो उच्च शिक्षा के प्रसार में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का ठोस प्रमाण है।

इसी क्रम में भविष्य में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने, अनापत्ति प्रमाण–पत्र में वृद्धि करने तथा स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कराने हेतु आवेदन–पत्र एक स्थायी कार्यक्रम के अन्तर्गत आमंत्रित किये जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास की दृष्टि से उच्च शिक्षा एक संवेदनशील क्षेत्र है, जो भावी पीढियों के निर्माण एवं देश के विकास की दिशा को निर्धारित करने में अहम भूमिका रखता है। अतः उच्च शिक्षा में निजी निवेश की गुणवत्तापूर्ण भागीदारी में इच्छुक सुदृढ वित्तीय स्थिति वाली पंजीकृत संस्थाओं का आह्वान एवं स्वागत है ।

(सुनील कुमार शर्मा)
निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

कार्यालय , निदेशक , कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

1.	निदेशक	फोन – 2706847
2.	संयुक्त निदेशक (अनुदान)	फोन – 2706736
3.	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	फोन – 2705471
4.	संयुक्त निदेशक (कार्मिक)	फोन – 2702247
5.	संयुक्त निदेशक (योजना एवं समन्वय)	फोन – 2706289
6.	संयुक्त निदेशक (अकादमिक)	फोन – 2706550
7.	वित्तीय नियंत्रक	फोन– 2703897

सत्र 2013–14 के लिए निजी महाविद्यालय खोलने/पूर्व संचालित महाविद्यालयों के अस्थाई/स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधित गाईड लाईन

राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढावा देने हेतु गत वर्षों से प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसी दिशा में प्रदेश के सभी भागों में उच्च शिक्षा के प्रचार–प्रसार, महिलाओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन एवं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कुछ नीतिगत परिवर्तन किये गये हैं। इन नीतिगत परिवर्तनों के कारण आवेदन करने की प्रक्रिया में भी आंशिक परिवर्तन हुआ हैं। यह परिवर्तन सत्र 2013–14 से संचालित किये जाने वाले नवीन महाविद्यालयों हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र, पूर्व में संचालित महाविद्यालयों हेतु अस्थायी प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि व इन महाविद्यालयों को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर लागू होंगे।

नोट– आवेदक संस्थायें आवेदन करने से पूर्व राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम–1989 एवं नियम 1993 (आगे 'उक्त नियमों' के रूप में उल्लेखित) तथा समस्त नियम एवं शर्तें केवल इस विभाग से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविवद्यालय/संस्थाओं पर ही लागू होगें।

(1) नवीन निजी महाविद्यालयों को अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

1.1 राजस्थान राज्य में कहीं भी महाविद्यालय की स्थापना के लिये समिति/ न्यास द्वारा आवेदन करने पर आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र से समर्थित होने पर संस्था के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के साथ मानदण्डानुसार भूमि तथा भवन उपलब्ध होने पर निदेशालय द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत सत्र 2013–14 से उन्हीं समिति/न्यासों को महाविद्यालय संचालन का अस्थायी अनापति प्रमाण– पत्र जारी किया जावेगा जो पूर्ण रूप से भूमि एवं भवन के यूजीसी के मापदण्डानुसार पूर्ति करेगें। यह अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र केवल एक ही अकादमिक सत्र के लिये जारी होगा ततपश्चात् संस्था को अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु विभाग में सत्रानुसार आवेदन करना होगा।

1.2 अस्थायी अनापति प्रमाण **पत्र** मिलने के पश्चात् संस्था को प्रत्येक सत्र के लिये विभाग में आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के परीक्षण एवं निरीक्षणोपरांत संस्था को मानदण्ड पूरे करने पर अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र की अभिवृद्धि जारी की जा सकेगी।

1.3 संस्था द्वारा तीन अकादमिक सत्र संतोषप्रद ढंग से पूर्ण करने पर ही महाविद्यालय स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने निदेशालय, कालेज शिक्षा द्वारा निरीक्षण करवाने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु **बिन्दु 9** में उल्लेखित मापदण्डों को पूर्ण कर लिया हो। यदि महाविद्यालय इस दौरान स्थायी अनापति के लिये निर्धारित मापदण्डों को पूरा नही करती है तो महाविद्यालय का अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। इसके पश्चात संस्था प्रथम वर्ष में

नवीन प्रवेश नही दे सकेगी व केवल द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के लिये ही महाविद्यालय का संचालन **किया** जा सकेगा।

1.4 स्थायी अनापति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही महाविद्यालय स्नातकोतर स्तर पर कमोनयन हेतु पात्र होगी। स्नातकोतर स्तर पर क्रमोन्नयन हेतु पृथक से विभाग की अनुमति की आवश्यकता होगी। यह अनुमति संस्था द्वारा यूजीसी मापदण्डों की पूर्ति के अध्यधीन होगी।

1.5 नवीन महाविद्यालय के आवेदन अपूर्ण होने पर, मानदण्डानुसार दस्तावेज प्रतियॉ संलग्न नही होने पर, निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर अथवा निरीक्षणोंपरात समय पर कमियों की पूर्ति नही किये जाने पर संस्था के आवेदन पर उस सत्र के लिये कोई विचार नही किया जावेगा। संस्था को यदि आवेदित सत्र में अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र जारी नही होता है तो संस्था का आवेदन उस सत्र के लिये निरस्त माना जायेगा तथा **आवेदन शुल्क को लौटाया जाना संभव नही होगा।** संस्था को नवीन सत्र के लिये पुनः आवेदन करना होगा।

1.6 संस्थायें राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति पश्चात् निर्धारित अवधि में आवेदन करें।

1.7 **संस्था यह ध्यान रखे कि केवल राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से तथा अन्य नियामक संस्थाओं से सम्बद्धता एवं अनुमोदन लेने के उपरान्त ही महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।**

(2) आवेदन शुल्क

संस्थाऐं समस्त राशियों को एक साथ जोडकर कुल राशि का एक ही डीमान्ड ड्राफ्ट निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर के नाम बनवाकर विभाग को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करे। आवेदन शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से है –

2.1	**नवीन (सामान्य व विधि) महाविद्यालयों के लिये–**	
	(क) सहशिक्षा महाविद्यालय के लिये	50,000 रू.
	(ख) महिला महाविद्यालय के लिये	20,000 रू.
	(ग) पिछडे क्षेत्रों (परिशिष्ट–III में वर्णित महाविद्यालयों) के लिये	10,000रू.
	(घ) आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में परिशिष्ट–IV वर्णित महाविद्यालय के लिये	10,000 रू.
2.2	**अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि (पूर्व में संचालित)/ स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये –**	7,500 रू.
2.3	**सहशिक्षा में परिवर्तन के लिए –**	25,000 रू.
2.4	**नाम परिवर्तन हेतु–**	25,000 रू.

2.5 **स्थान परिवर्तन हेतु–** 25,000 रू.

2.6 **निरीक्षण शुल्क** – अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि (पूर्व में संचालित)/स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहशिक्षा में परिवर्तन हेतु निरीक्षण शुल्क पृथक से रूपये 10,000/– होगें। **(यह शुल्क नवीन महाविद्यालय खोलने के आवेदन पर लागू नहीं)**

2.7 **विषय/संकाय शुल्क–** अनिवार्य विषय ;सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग शुल्क से मुक्त होगें। अन्य विषय/संकाय हेतु निम्नानुसार (सारणी–1) शुल्क होगा। यह शुल्क आवेदन/निरीक्षण शुल्क के अतिरिक्त होगा।

सारणी–1

क्र सं.	संकाय/ विषय	राशि रूपयों में
1	बी.ए. कोई दो समूह अथवा कुल छः विषय	2000
2	बी.ए. में उपरोक्त छः विषयों के अतिरिक्त तीन विषयों या दो अतिरिक्त समूहों अर्थात् कुल 12 विषयों तक	2000
3	बी.ए. में चार समूहों या 12 विषयों से अधिक	2000
4	बी.कॉम. तीन सामान्य विषय	2000
5	बी.कॉम. तीन सामान्य विषयों के अतिरिक्त विषयों पर	2000
6	बी.एस.सी.बायोलॉजी	2000
7	बी.एस.सी. गणित	2000
8	बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.एस.सी.आईटी या अन्य कोई संकाय प्रत्येक पर	2000
9	एलएलबी. तीन वर्षीय	2000
10	एलएलबी. पॉच वर्षीय	2000
11	स्नातक स्तर के डिप्लामा या अन्य ;एक और दो वर्षीय कोर्स	2000

नोट – 1.आवेदन पत्र में नवीन विषय/संकाय के कॉलम में चाहें गये विषयों का उल्लेख अनिवार्य रूप से करे।
2.नवीन/अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि के साथ स्नातकोत्तर स्तर का कोई नवीन डिग्री, डिप्लोमा कोर्स स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
3.संस्थाओं को नवीन विषय/संकाय हेतु निर्धारित मानदण्डानुसार कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, विभागीय कक्ष तथा स्टॉफ की व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु प्रमाण स्वरूप अतिरिक्त कक्षों व स्टॉफ के चयन का शपथ पत्र विभाग को प्रस्तुत करना होगा ।
4.पूर्व में संचालित अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों पर भी उपरोक्त सारणी अनुसार शुल्क लागू होगा ।

(3) मियादी जमा (एफ.डी.आर.)

3.1 नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने से पूर्व समिति/संस्था को वित्तीय सुदृढता हेतु निम्न प्रकार से राशि पॉच वर्ष के लिये मियादी जमा (एफडीआर) के रूप में महाविद्यालय के नाम एवं संयुक्त निदेशक (अनुदान), निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के संयुक्त खाते में जमा करानी होगी–

सहशिक्षा महाविद्यालय	रू. 10.00 लाख
महिला महाविद्यालय	रू. 4.00 लाख

नोट– सावधि जमा (एफडीआर) राशि में निम्नानुसार छूट रहेगी–

1. पिछडे क्षेत्र परिशिष्ट–III में उल्लेखित महाविद्यालय हेतु राशि का 50 प्रतिशत
2. आरक्षित विधानसभा क्षेत्र परिशिष्ट–IV में स्थित महाविद्यालय हेतु निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत

3.2 एफडीआर राशि का पुर्नभुगतान –

महाविद्यालय के नाम तथा संयुक्त निदेशक (अनुदान), कॉलेज शिक्षा के संयुक्त नाम से बनी एफडीआर का संस्था अपरिहार्य कारणों से नगदीकरण कराने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं –

1 अगर संस्था ने आवेदन किया हो परन्तु संस्था को एनओसी जारी नहीं की गई हो तो ऐसी स्थिति में नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी ।

2 अगर संस्था को एनओसी जारी हो गई हो किन्तु संस्था द्वारा आवश्यक विभागीय मापदण्डों की समय पर पूर्ति नहीं करने पर (5 वर्ष तक) व संस्था के स्वयं के महाविद्यालय संचालन बंद करने पर या असमर्थता व्यक्त करने पर नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी ।

3 यदि संस्था का अनापति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया या संस्था बीच सत्र में ही महाविद्यालय का संचालन बन्द कर रही हो तो संस्था को अगले दो सत्रों तक महाविद्यालय का संचालन करना होगा ताकि द्वितीय एवं तृतीय पार्ट के विद्यार्थियों का अध्ययन पूरा हो सके अथवा महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था अन्य स्थानीय महाविद्यालय में कर प्रमाण सहित विभाग को सूचित करना होगा।

4 उक्त बिंदु 1 से 4 तक के लिए संस्था को एफडीआर नगदीकरण हेतु आवेदन व एफडीआर की मूल प्रति के साथ 10/–रू० के गैर न्यायिक शपथ पत्र निम्नलिखित आशयों का प्रस्तुत करना होगा :–

(क) महाविद्यालय का संचालन पूरी तरह से बन्द कर दिया गया है एवं किसी भी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी अध्ययनरत नही है,

(ख) महाविद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का कोई वेतन भुगतान बकाया नही है,

(ग) महाविद्यालय/ संस्था ने किसी भी प्रकार का ऋण आदि प्राप्त नही किया हो,

(घ) महाविद्यालय / संस्था ने सरकार से किसी भी प्रकार की भूमि एवं भवन आदि रियायती दर पर प्राप्त नही किया हो।

(4) आवेदक समिति/संस्था/ट्रस्ट के लिए दिशा निर्देश

4.1 आवेदक एक समिति/संस्था/ट्रस्ट का गठन करेगा, जिसका पंजीयन "राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958" अथवा "राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959" अथवा "भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882" के अन्तर्गत होना अनिवार्य है।

4.2 समिति /संस्था/ट्रस्ट के पंजीकृत विधान के उद्देश्यों में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था का उल्लेख होना अनिवार्य है।

4.3 प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए नीचे विहित रीति से एक प्रबंध समिति गठित की जायेगी–

(क) प्रबन्ध समिति संस्था या संस्थाओं के प्रधान या प्रधानों सहित 15 से 21 सदस्यीय होनी चाहिए जिसमें 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है।

(ख) प्रबंध समिति में किसी भी एक समुदाय, जाति या पंथ के दो–तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे,

(ग) कुल सदस्यता के एक–तिहाई से अन्यून सदस्य दाताओं या अभिदाताओं में से होंगे।

(स्पष्टीकरण– संस्था को एक समय में 10000/– रूपये या इससे अधिक या बारह महीने या इससे अधिक की निरन्तर कालावधि के लिए कम से कम 1000/– रूपये दान देने वाला कोई व्यक्ति दानदाता समझा जायेगा।)

(घ) स्थायी स्टाफ में से चयनित एक सदस्य प्रबंध समिति में सम्मिलित किया जायेगा,

(ड) कम से कम एक सदस्य प्रबंध द्वारा चलायी जा रही संस्था या संस्थाओं के विद्यार्थियों के माता–पिता में से सहयोजित किया जायेगा,

(च) संस्था के कम से कम एक प्रतिष्ठित पुराने विद्यार्थी को प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा,

(छ) प्रबंध प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात निर्वाचन करवायेगा और नये प्रबंध समिति का गठन करेगा।

4.4 प्रबन्ध समिति चुनावों के संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगी –

(क) एक निर्वाचन अधिकारी का नाम निर्देशित किया जायेगा,

(ख) निर्वाचन अधिकारी चुनाव के लिए नियत तारीख से कम से कम एक महीने पूर्व निर्वाचकगण के समस्त सदस्यों के निर्वाचन का नोटिस जारी करेगा,

(ग) निर्वाचन के नोटिस में निर्वाचन की तारीख, स्थान और समय विनिर्दिष्ट होगा,

(घ) निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों के नामों, जो चुनाव में खड़े हुए हैं व उनके पक्ष में पड़े मतों की संख्या सहित सम्पूर्ण निर्वाचन के अभिलेख रखेगा,

(ड) निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और गुप्त मतपत्र के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी ।

(च) निर्वाचित सदस्यों द्वारा सहयोजन निर्वाचन के एक महीने के भीतर किया जायेगा,

(छ) निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् प्रबंध समिति विभागीय प्रतिनिधि के नाम निर्देशन के लिए कार्यवाही करेगी ।

4.5 प्रबन्ध समिति के गठन के पश्चात् प्रबंध समिति के निर्वाचित और नाम निर्देशित सदस्य अपना अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। संस्था का कर्मचारी न तो सचिव होगा और न ही कोषाध्यक्ष। समिति यह ध्यान रखे कि प्रत्येक प्रबन्ध समिति का पंजीयन, पंजीयक सहकारी समितियों के यहाँ कराकर दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(5) आवेदन पत्र

5.1 आवेदन पत्रों के प्रारूप निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।

5.2 संस्थाऐं ध्यान रखें कि दिशा निर्देशों के साथ तीन प्रकार के आवेदन पत्र के प्रारूप दिये गये है अतः आवश्यकतानुसार निर्धारित आवेदन पत्र ही भरा जाना चाहिए।

1. आवेदन पत्र – (12) नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु।

2. आवेदन पत्र – (13) अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि/स्थाइ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ स्थान परिर्वतन/सहशिक्षा में परिवर्तन हेतु प्रस्तुत कियेजानेवाले आवेदन फार्म

5.3 आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर अथवा आवेदन शुल्क जमा न होने पर अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा ।

5.4 आवेदन पत्र के साथ प्रथम पृष्ठ पर दी गई चेकलिस्ट के आधार पर दस्तावेजों को कमानुसार लगाकर तथा स्पष्ट रूप से पृष्ठाकंन कर संलग्न करें।

5.5 आवेदन पत्र आवेदन शुल्क सहित कार्यालय, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में बिन्दु 5.6 में अंकित निर्धारित तिथियों तक जमा करवायें जा सकते है।

5.6 महत्वपूर्ण तिथियॉ–

सत्र 2013–14 के लिए निजी महाविद्यालयों के अस्थायी/स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियां निम्न प्रकार रहेंगी–

चरण	आवेदन प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि	विलम्ब शुल्क
प्रथम चरण	31 दिसम्बर, 2012 तक	शून्य
द्वितीय चरण	31 जनवरी, 2013 तक	रू० 10,000/–

नोट– महाविद्यालय को समय पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय की सम्बद्धता तिथियों के अनुसार सम्बद्धता हेतु आवेदन करना होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता सम्बन्धी सभी शुल्क जमा कराने होंगे।

(6) विधि महाविद्यालय

उन्हीं स्थानों पर खोले जा सकेंगे जहां जिला/एडीजे न्यायालय/सी.जे.एम कोर्ट उपलब्ध होंगे । अतः उन्हीं स्थानों के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जावें।

(7) सहशिक्षा में परिवर्तन

अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात महिला महाविद्यालय का सहशिक्षा में परिवर्तन स्वीकार तभी किया जावेगा जब महाविद्यालय सहशिक्षा के मापदण्ड (भूमि, भवन व एफडीआर) पूरे करती हो। स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महिला महाविद्यालय यदि सह शिक्षा में परिवर्तित होना चाहें तो उनके लिए भी सह शिक्षा महाविद्यालयों के मापदण्ड पूर्ण करने अनिवार्य होंगे। इस हेतु विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

(8) नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक दस्तावेज

(क) संस्था का प्रस्ताव

(ख) नियमानुसार राशि 25000 रूपये के शुल्क का डीमाण्ड ड्राफट

(ग) राज्य स्तरीय समाचार पत्र में नाम परिवर्तन के संबंध में अनापत्ति हेतु प्रकाशित आम सूचना की प्रति ।

(9) पूर्व में संचालित महाविद्यालयो को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु नियम व दिशा–निर्देश–

अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शैक्षिक संस्था स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पात्र होगी, यदि वह निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करती है –

9.1 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र मंजूर कर दिये जाने के पश्चात् स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने वाली संस्था ने विभागीय विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तो को पूरा करते हुए ऐसी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष तक सन्तोषप्रद रूप से कार्य किया हो।

9.2 प्रबन्ध ने इन नियमों के उपबन्धों और राज्य सरकार/आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेशों/निर्देशों या अनुदेशों का तत्परता से पालन किया हो और वह उससे समय–समय पर मांगी गई सभी आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करता रहा हो

9.3 स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्ही संस्थाओं को प्रदान किया जावेगा जिन्होंनें–

(क) तीन वर्ष की अवधि में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि एवं भवन की व्यवस्था कर ली हो।

(ख) प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति का सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो।

(ग) महाविद्यालय के स्टॉफ का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो।

(घ) महाविद्यालय के समस्त स्टॉफ की पी.एफ. कटौती नियमानुसार की जा रही हो ।

(ङ) छात्र–छात्राओं की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो ।

(ण) भूमि का रूपान्तरण शैक्षणिक प्रयोजनार्थ करवा लिया गया हो ।

(10) सभी अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों हेतु आवश्यक दिशानिर्देश–

10.1 पॉच या इससे अधिक सत्रो से संचालित महाविद्यालयों को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदण्ड पूरे कर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनका अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

10.2 तीन सत्र पूर्ण करने वाले ऐसे महाविद्यालयों को आगामी दो सत्र के भीतर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदण्ड पूरे कर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनका अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

10.3 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं को प्रतिवर्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

(11) संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने हेतु नियम :–

11.1 अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबन्ध को अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियों में उसकी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र या स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले सकेगा –

(क) यदि किसी संस्था का प्रबन्ध कपट/दुर्व्यपदेशन से या तात्विक विशिष्टियों को छिपाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करता है या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कोई संस्था इन नियमों के परिशिष्ट–II में विहित किन्हीं भी निबन्धों और शर्तो का पालन करने में विफल रहती है।

(ख) यदि प्रबन्ध मण्डल ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, किसी शैक्षिक संस्था या उसके किसी भाग को बन्द कर दिया है।

(ग) यदि प्रबन्ध ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, शैक्षिक संस्था को किसी अन्य भवन या स्थान में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(घ) यदि संस्था का प्रबन्ध सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रबन्ध समिति/ संस्था को अंतरित कर दिया गया है।

(ङ) यदि अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की कालावधि की समाप्ति पर प्रबन्ध या तो अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि को बढाने या स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने मे विफल रहता है।

(च) यदि संस्था विभागीय निर्देशों की लगातार अवहेलना कर रही हो।

11.2 यह समाधान हो जाने पर कि संस्था उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तो में से किसी का अनुपालन करने में विफल रही है, सक्षम प्राधिकारी संस्था को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित कर सकेगा। तत्पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि संस्था ने विनिर्दिष्ट कालावधि में संतोषप्रद सुधार किया है तो वह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी रखना अनुज्ञात कर सकेगा ।

11.3 सामान्यतः किसी शैक्षिक संस्था को एक बार दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र एक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक जारी रहेगी । किन्तु कपट, दुर्व्यपदेशन या ऐसे तात्विक तथ्यों के छिपाने के मामलों में जिन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गई थी ऐसे मामलों में जहाँ संस्था शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की समय पर अनुपालना में विफल रही है, सक्षम प्राधिकारी प्रबंध को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् शैक्षणिक सत्र के बीच में भी अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले सकेगा ।

11.4 किसी भी संस्था को भूतलक्षी प्रभाव से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण –

(1) ऐसे मामलों में, जहाँ पूर्व मे दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले ली गई हो किन्तु पुनः प्रदत्त कर दी गई हो, ऐसी संस्था को नवीन संस्था कहा जायेगा।

(2) संस्था द्वारा किसी नये स्थान पर शाखा खोलने के मामले में संस्था की ऐसी शाखा को नवीन संस्था कहा जायेगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये उसका आवेदन तदनुसार विनिश्चित किया जायेगा।

परिशिष्ट–I

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भौतिक एवं वित्तीय मानदण्ड एवं शर्तें (सामान्य एवं विधि)

1. **पंजीयन**

महाविद्यालय का प्रबन्धन राजस्थान सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1958 या ट्रस्ट एक्ट के अधीन गठित पंजीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा गठित किया जायेगा।

2. **भवन**

(अ.) प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा अन्य भवन के साथ–साथ प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट त्वरित शैक्षणिक तथा अन्य स्थान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त आवास स्थान होना चाहिये तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित मानकों के अनुरूप भावी विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिये। यह भी ध्यान रखें कि कॉलेज में निर्मित सभी भवन निःशक्त अनुकुल होने चाहिये।

(ब) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भवन के मापदण्ड इस प्रकार से हैं–

कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
कला संकाय –	7	(20'×30')
वाणिज्य संकाय –	4	(20'×30')
विज्ञान संकाय –	6	(20'×30')
प्रयोगशाला विषयवार–	1	(20'×30')
विधि संकाय (मूट कोर्ट सहित)–	6	(20'×30')
व्यावसायिक पाठ्यक्रम	1 प्रतिविषय	(20'×30')
प्रशासनिक भवन		
अ. कार्यालय कक्ष –	2	(15'×20)

ब. भण्डार कक्ष –	1	(20'×30')
स. प्राचार्य कक्ष –	1	(12'×12')
द. उपाचार्य कक्ष –	1	(12'×12')
(छात्र संख्या 300 से अधिक होने पर)		
प्राध्यापक कक्ष –	1	(20'×30')
एन.सी.सी.	1	(12'×12')
एन.एस.एस.	1	(12'×12')
खेलकूद	1	(20'×30')
पुस्तकालय भवन	2	(20'×30')

(स) संकायों, लेक्चर/संगोष्ठी कक्षों, ग्रन्थागारों तथा प्रयोगशालाओं के लिये पर्याप्त शैक्षणिक भवन होना चाहिये। जिनमें प्रति छात्र कम से कम 15 वर्ग फीट के स्थान तथा प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रति छात्र 20 वर्गफीट का स्थान होना चाहिये।

(द) भवन में केन्द्र/राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप अनिवार्य सेवाओं जैसे–जल, विद्युत, संवातन, शौचालय, सीवर आदि के लिये पर्याप्त सुविधायें होनी चाहिये।

(य) कम से कम 1000 पुस्तकों का एक ग्रन्थालय अथवा प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रत्येक विषय के अलग अलग शीर्षक पर 100 पुस्तकें, इनमें से जो भी अधिक हो, ताकि पाठ्यक्रम तथा संदर्भ पुस्तकों, दोनों को शामिल किया जा सके। इसके अलावा प्रत्येक विषय पर दो जर्नल होने चाहिये। साथ ही अनुसूचित जातियों जनजातियों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य वर्गों के छात्रों के लिये पुस्तक बैंक की भी सुविधा होनी चाहिये।

(र) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये यथाविहित आवश्यक प्रयोगशाला उपस्कर होने चाहिये।

(ल) एक बहुउद्देशीय कॉमप्लेक्स, एक प्रेक्षागृह तथा खेलकूद, जलपान गृह, स्वास्थ्य देखभाल के लिये सुविधायें तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार यथा निर्णित लड़कों तथा लड़कियों के लिये पृथक कामन रूम तथा पृथक छात्रावास।

3. **भूमि**

क.सं.	स्थान	महाविद्यालय के लिए (अविवादित स्वामित्व वाली)
1	जयपुर महानगरीय क्षेत्र में	2000 वर्गमीटर
2	अन्य सम्भागीय मुख्यालय क्षेत्रों में	4000 वर्गमीटर
3	जिला मुख्यालय क्षेत्रों में	5000 वर्गमीटर
4	अन्य क्षेत्रों में	8000 वर्गमीटर

नोट– भूमि से सम्बन्धित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिये–

1. भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र संलग्न होना चाहिये।

2. सम्बन्धित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र

3. आवेदक संस्था के नाम से पंजीकृत भूमि/सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज

4. पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार किया गया तथा सम्बन्धित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा।

5. प्रस्तावित कॉलेज के लिये पंजीकृत सोसायटी /न्यास द्वारा पंजीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित कॉलेज के लिये भूमि को चिन्हित किया गया हो।

4. स्टाफ

1. प्राचार्य – 1
2. 300 से अधिक विद्यार्थियों पर उपाचार्य –1
3. विषयवार प्राध्यापक –1
4. पुस्तकालयाध्यक्ष – 1
5. पी.टी.आई. – 1
6. कनिष्ठ लेखाकार – 1
7. वरिष्ठ लिपिक – 1
8. कनिष्ठ लिपिक – 1
9. बुक लिफ्टर – 1
10. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – 7

5. फर्नीचर

भाषण, संगोष्ठी कक्षों/प्रयोगशालाओं /ग्रन्थालय/ संकाय कक्षों तथा प्रशासनिक स्टाफ सहित प्राचार्य के कक्षों के लिये और बहुउद्देश्य कॉमप्लेक्स /प्रेक्षागृह/ सामान्य कक्षों तथा छात्रावास कक्षों एवं अन्य सुविधाओं के लिये उपयुक्त फर्नीचर।

6. छात्रावास

आवश्यकतानुसार छात्र–छात्राओं के लिए पृथक–2 छात्रावास की वैकल्पिक व्यवस्था।

7. प्रबन्ध समिति

15 से 21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति में 30% महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। समिति नवीनतम हो तथा पंजीयक से अनुमोदित होनी चाहिये।

8. विद्यार्थी सुविधायें

केन्टीन, कॉमन रूम मय शौचालय, आंतरिक क्रीडा कक्ष मय शौचालय, साईकिल/स्कूटर/कार स्टेण्ड मय शौचालय

10. वेतन भत्ते

प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याताओं को यू.जी.सी द्वारा निर्धारित दरों से एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते दिया जाना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को देय समस्त भुगतान उनके बैक खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

परिशिष्ट–II

तीन वर्षो में महाविद्यालय भवन के न्यूनतम निर्माण की वर्षवार अनिवार्यतायें

चूंकि उपरोक्त मानदण्ड तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये है। अतः तीन वर्ष की अवधि में इसका पूरा होना आवश्यक है। अतः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में भवन सम्बन्धी मानदण्डों को निम्नानुसार विभाजित किया जाता है।

1 प्रथम वर्ष के लिए (संकाय वार)

क्र.सं.	कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	3	20'x30'
2	वाणिज्य संकाय	2	20'x30'
3	विज्ञान संकाय	3	20'x30'
4	विधि संकाय	2	20'x30'

विज्ञान संकाय प्रयोगशाला

1	रसायन विज्ञान	1	20'x30'
2	भौतिक विज्ञान	1	20'x30'
3	प्राणी विज्ञान	1	20'x30'
4	वनस्पति विज्ञान	1	20'x30'
5	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2	20'x30'

प्रत्येक प्रयोगशाला में एक भण्डार कक्ष, प्रायोगिक कक्ष, डार्क रूम, बैलेन्स रूम, प्राध्यापक कक्ष, संग्रहालय एवं पर्याप्त वनस्पति उद्यान एवं जन्तु उद्यान की व्यवस्था हो।

प्रशासनिक भवन

1.	कार्यालय कक्ष	2	15'x20'
2	स्टॉफ रूम मय शौचालय	1	20'x30'
3	भण्डार कक्ष	1	20'x30'
4	प्राचार्य कक्ष मय शोचालय	1	12'x12'
5	उपाचार्य कक्ष मय शौचालय (300 से अधिक विद्यार्थी संख्या होने पर)	1	12'x12'
6	पुस्तकालय भवन मय शोचालय	2	20'x30'

2 द्वितीय वर्ष के लिए –

प्रथम वर्ष में दी गई व्यवस्था के निर्माण के उपरान्त द्वितीय वर्ष में निम्न निर्माण आवश्यक है:

क.सं.	कक्षा कक्ष	कमरों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	2	20'x30'
2	वाणिज्य संकाय	1	20'x30'
3	विज्ञान संकाय	2	20'x30'
4	विधि संकाय	2	20'x30'
5	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2	20'x30'
6	एन.सी.सी.	1	12'x12'
7	एन.एस.एस.	1	12'x12'
8	खेलकूद	1	20'x30'
विज्ञान संकाय प्रयोगशाला			
1	रसायन विज्ञान	1	20'x30'
2	भौतिक विज्ञान	1	20'x30'
3	प्राणी विज्ञान	—	—
4	वनस्पति विज्ञान	—	—

3 तृतीय वर्ष के लिए–

क.सं.	कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	2	20'x30'
2	वाणिज्य संकाय	1	20'x30'
3	विज्ञान संकाय	1	20'x30'
4	विधि संकाय	2	20'x30'
5	मूट कोर्ट	1	20'x30'
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2	20'x30'

नोटः–**पंजीकृत सोसायटियों /न्यास को न्यायोचित अपवादस्वरूप मामलों में इस शर्त के अध्यधीन मौजूदा उपलब्ध इमारत में प्रथम वर्ष के कार्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति दी जा सकती है कि उसके द्वारा सभी अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को विनियम के तहत पूरा किया गया है तथा द्वितीय वर्ष के अन्त तक भवन निर्माण पूरा कर लेगा व तृतीय वर्ष के आरम्भ तक कॉलेज को प्रस्तावित स्थायी भवन में पूरी तरह स्थानांतरित कर दिया जायेगा। ऐसा न होने पर कॉलेज के अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीकरण नहीं किया जायेगा। जब तक कि कॉलेज स्थायी भवन में स्थानांतरित नहीं हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्थायी भवन में स्थानांतरण हेतु पॉच वर्ष से अधिक का समय विस्तार नहीं दिया जायेगा।**

परिशिष्ट–III

पिछड़े क्षेत्रों की सूची उपखण्ड मुख्यालयों की सूची जो उच्च शिक्षण संस्थानों की दृष्टि से अल्पविकसित है।

क.सं.	जिला	उपखण्ड
1.	बारां	1. मांगरोल
2.		2. किशनगंज
3.	बाडमेर	1. शिव
4.	भीलवाडा	1. बनेडा
5.	चित्तौडगढ	1. गंगरार
6.	जैसलमेर	1. फतेहगढ
7.	झालावाड	1. पिडावा
8.	जोधपुर	1. शेरगढ
9.	कोटा	1. दीगोद

तहसील क्षेत्रों की सूची जहॉ एक भी महाविद्यालय स्थित नहीं है

क्र.सं.	जिला	उपखण्ड	तहसील क्षेत्र
1	बारां	मागरोल	मगरोल
2		किशनगंज	किशनगंज
3	बाड़मेर	बाड़मेर	बायतू
4			रामसर
5		शिव	शिव
6	भीलवाडा	बनेडा	बनेडा
7		जहाजपुर	कोटडी
8	बीकानेर	खाजूवाला	पूंगल
9			छत्रगढ
10	प्रतापगढ	प्रतापगढ	अरनोद
11	चित्तौडगढ	गंगरार	गंगरार
12	जैसलमेर	फतेहगढ	फतेहगढ
13	जालौर	जालौर	सयाला
14		भीनमाल	बागोडा
15	झालावाड	पिडावा	पिडावा
16		अकलेरा	मनोहर थाना
17	जोधपुर	शेरगढ	शेरगढ
18	कोटा	दीगोद	दीगोद
19	पाली	जैतारण	रायपुर
20	सवाईमाधोपुर	बोंली	मलारना डूंगर

नोट :– उक्त सूची अनन्तिम है। इसके अलावा भी ऐसे क्षेत्र जहॉ कोई भी सरकारी अथवा निजी महाविद्यालय नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पिछडे. क्षेत्र की सूची में माना जा सकता है। आवेदक संस्था को तहसील कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके महाविद्यालय का स्थान उपरोक्त सूची में वर्णित तहसील क्षेत्र में आता है ।

परिशिष्ट–IV

आरक्षित क्षेत्रों की सूची राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

क.सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र
1	अजमेर	दूदू, अजमेर दक्षिण
2	अलवर	अलवर ग्रामीण
3		कठूमर
4	बाड़मेर	चौहटन
5	भरतपुर	बयाना
6		वैर
7	भीलवाडा	शाहपुरा
8	बीकानेर	खाजूवाला
9	बून्दी	केशोरायपाटन
10	चित्तौडगढ	कपासन
11	चुरू	सुजानगढ
12	श्रीगंगानगर	अनूपगढ
13		रायसिंहनगर
14	जयपुर	दूदू
15		चाकसू
16		बगरू
17	जालोर	जालोर
18	झालावाड	डग
19	झुझुनू	पिलानी
20	जोधपुर	भोपालगढ
21		बिलाडा
22	कोटा	रामगंजमण्डी
23	नागौर	जायल
24		मेडता
25	पाली	सोजत
26	सवाई माधोपुर	खण्डार
27	सीकर	धोद
28	सिरोही	रेवदर
29	टोंक	निवाई
30	बारां	बारां–अटरू
31	दौसा	सिकराय
32	करौली	हिण्डौन
33	धौलपुर	बसेडी
34	हनुमानगढ	पीलीबंगा

राजस्थान में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधान सभा क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र
1	अलवर	राजगढ–लक्ष्मणगढ
2	बांसवाडा	कुशलगढ
3		गढ़ी
4		घाटोल
5		बागीडोरा
6		बांसवाडा
7	डूंगरपुर	सागवाडा
8		चेरासी
9		डूंगरपुर
10		टासपुर
11	सवाई माधोपुर	बामनवास
12	सिरोही	पिण्डवाडा आबू
13	उदयपुर	झाडोल
14		उदयपुर ग्रामीण
15		सलूम्बर
16		खेरवाडा
17		गोगून्दा
18		धारियावाद
19	बारां	किशनगंज
20	दौसा	लालसोट
21	करौली	सपोटरा
22		टोडाभीम
23	जयपुर	जमवारामगढ़
24		बस्सी
25	चितौड़गढ	प्रतापगढ

नोट :–आवेदक संस्था को जिला कलेक्टर अथवा एस.डी.एम. से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके महाविद्यालय का स्थान आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में आता है ।

12. आवेदन पत्र

नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
आवेदित सत्र ————

नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन फार्म का प्रारूप

12.1 भाग – 'अ' (चेक लिस्ट)

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की प्रति ।
2. पंजीयक से पंजीकृत 15–21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति जिसमें 30 प्रतिशत महिलाये हो, के सदस्यों की सूची।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा निजी महाविद्यालय/ विषय/ संकाय प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति। (सिलेबस प्रति संलग्न नहीं करे)
4. विषय/ संकाय की सूची मय शुल्क का विवरण (आवेदन शुल्क एवं विषय शुल्क जोड़कर एक डीडी बनाये)
5. जहॉ महाविद्यालय स्थापित किया जाना है, यदि वह क्षेत्र आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में स्थित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (एडीएम)/(एसडीएम) द्वारा।
6. प्रस्तावित महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक (अनुदान) के संयुक्त खाते में स्थाई निधि में 5 वर्ष के लिए नवीनतम एफ.डी.आर. की प्रति।
7. संस्था के नाम स्वयं के भूमि–भवन का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति।
8. भवन का पी डब्लूडी/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित मानचित्र (प्रस्तावित एवं वर्तमान भवन मानचित्र) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर की छाया चित्र।
9. नवीनतम (सत्रानुसार) भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा) यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान, राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता।
10. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चल करने का घोषणा पत्र।
11. संस्था को तीन वर्ष के भीतर मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर भवन का निर्माण करना होगा, इस आशय का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।

नोट :– सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993" देखें ।

12.2 भाग – 'ब'

नवीन महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

I प्रस्तावित महाविद्यालय का प्रकार सामान्य (स्नातक)/ विधि

II प्रस्तावित महाविद्यालय की श्रेणी सहशिक्षा / महिला

III क्या प्रस्तावित महाविद्यालय पिछडे क्षेत्र में आता है– हां / नहीं

IV क्या प्रस्तावित महाविद्यालय आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत आता है ?(अगर हां तो प्रमाण प्रस्तुत करें) हां / नहीं

V आवेदन शुल्क राशि रू0....................डी.डी. कमांक .... दि0 .... बैक..

(डी.डी. के पीछे समिति/महाविद्यालय का नाम व स्थान अवश्य अंकित करे)

VI एफ.डी.आर. राशि रू0 .... कमांक ....दि0 .... बैक.....

1. प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम एवं ....

   पूर्ण पता ....

   पिन कोड ....तहसील....................जिला..........

   दूरभाष नं. मय एसटीडी कोड ....

   फैक्स नं. ....

   मोबाइल ....

   ई–मेल पता ....

2. प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम व पता ....

   ....

3. आवेदक समिति/ट्रस्ट का नाम व पता मय ....

   पंजीकरण कमांक एवं दिनांक ....

4. पंजीकृत विधान की प्रति ....

5. पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति ....

   के सदस्यों के नाम,पते, टेलीफोन नंम्बर, व्यवसाय

6. वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि ....

7. प्रस्तावित महाविद्यालय की क्षेत्रीय आवश्यकता एवं ....

   औचित्य का आधार ....

12.3 भाग – 'स'

आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

1. भूमि–

1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से कय 3. दान से

(अ) भूमि का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय 2. समिति / ट्रस्ट

3. अन्य(स्पष्ट नाम लिखें)......................................4.दस्तावेज (पंजीकृत / अपंजीकृत)

(ब) भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर ....खसरा नं0........................

(भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट संलग्न करें)

2. भवन :–

1. सरकार से आवंटित . 2. निजी व्यक्ति से कय 3. दान से

(अ) भवन का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय 2. समिति / ट्रस्ट

3. अन्य(स्पष्ट नाम लिखें) ....4.दस्तावेज (पंजीकृत / अपंजीकृत)

(ब) भवन का क्षेत्रफल वर्ग मीटर ....

कक्षों की संख्या व आकार लिखें :–

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	स्टाफ रूम	कार्यालय कक्ष	भंडार कक्ष	कीडा कक्ष
मापवर्गफुटमें					
कमरा नं.					

अकादमिक

कक्षा कक्षों की कुल संख्या ...		प्रयोगशाला की कुल संख्या........	पुस्तकालय	वाचनालय
मापवर्गफुटमें				
कमरा न				

छात्र सुविधाएं

कामन रूम	साईकिल स्टेण्ड	जल भंडारण	पुरूष टायलेट्स	महिला टायलेट्स

12.4 <u>भाग – 'द'</u>

अकादमिक सूचनाओं का विवरण

1. सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम ....

....

2. आवेदित संकाय ....

3. आवेदित विषय ....

....

....

4. चाहे गये विषय–संकाय समबद्धक विश्वविद्यालय में उपलब्ध होने बावत प्रस्ताव की प्रति ....

12.5 भाग – 'य'

घोषणा पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री..

अध्यक्ष/सचिव..एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की घोषणा करता/करती हूँ कि–

1 महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमो व नीतियों के अनुसार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरूद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

4. महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जावेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

5. महाविद्यालय का संचालन हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरश: (Intoto) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

6. संस्था द्वारा तीन वर्ष की अवधि में स्वंय की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जावेगा।

7. महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन–देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय–व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर आडिट कराया जायेगा।

8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को कमश: 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगी।

9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर मय दिनांक

(अध्यक्ष/सचिव प्रबंध समिति)

13. आवेदन पत्र

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आवेदित सत्र ....

अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि/स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्थान परिर्वतन/सहशिक्षा में परिवर्तन /नवीन विषय चाहने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन फार्म

(केवल पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिए)

13.1 भाग – 'अ' (चेक लिस्ट)

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की प्रति।
2. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची ।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा नवीन विषय/संकाय /सहशिक्षा में परिवर्तन हेतु प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति ।
4. संस्था के महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक (अनुदान) के संयुक्त खाते में स्थाई निधि में 5 वर्ष के लिए जमा राशि के एफ.डी.आर. की प्रति ।
5. महाविद्यालय के स्वयं की भूमि–भवन के पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियॉ स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने पर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण आवश्यक है।
6. भवन का मानचित्र (वर्तमान भवन मानचित्र पीडब्लूडी/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर के छाया चित्र।
7. नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा)यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान, राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता ।
8. महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक (यूजीसी योग्यताधारी) एवं अशैक्षणिक स्टाफ का विवरण। स्थाई के लिए आवेदन करने पर यूजीसी योग्यताधारी स्थाई स्टॉफ पर संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदन पत्र।
9. स्टॉफ का बेंक द्वारा वेतन के भुगतान का प्रमाण पत्र।
10. समस्त स्टॉफ की पी.एफ कटौती का प्रमाण पत्र।
11. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चत करने का घोषणा पत्र।
12. गत तीन वर्षो में महाविद्यालय में संकाय/कक्षा/विषयवार छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण । सारणी में प्रस्तुत करे। (टी0 आर0 संलग्न नहीं करें)।
13. गत तीन वर्षो के परीक्षा परिणाम का विवरण। सारणी में प्रस्तुत करे। (टी0 आर0 संलग्न नहीं करें)।

नोट :– सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993" देखें ।

13.2 भाग – 'ब'

महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

I महाविद्यालय का प्रकार सामान्य / विधि

II महाविद्यालय की श्रेणी सहशिक्षा / महिला

III क्या महाविद्यालय पिछडे क्षेत्र में आता है– हां / नहीं

IV आवेदन शुल्क राशि रू0........................डी.डी. कमांक .... दि0 .... बैक....

(डी.डी. के पीछे समिति/महाविद्यालय का नाम व स्थान अवश्य अंकित करें)

V एफ.डी.आर. राशि रू0 .... कमांक ....दि0 .... बैक..

VI महाविद्यालय स्थापना वर्ष ....

1. महाविद्यालय का नाम एवं ....

   पूर्ण पता ....

   पिन कोड ....तहसील...............................जिला............

   दूरभाष नं. मय एसटीडी कोड ....

   फैक्स नं. ....

   मोबाइल ....

   ई–मेल पता ....

2. प्राचार्य का नाम व पता ....

3. प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम व...

   ....

4. समिति/ट्रस्ट का नाम व पता मय...

   पंजीकरण कमांक एवं दिनांक ....

5. पंजीकृत विधान की प्रति ....

6. पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति...

   के सदस्यों के नाम,पते, टेलीफोन नंम्बर, व्यवसाय

7. वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि ....

13.3 भाग – 'स'

आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी विवरण– (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

1. भूमि–

1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से क्रय 3. दान में

(अ) भूमि का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय 2. समिति / ट्रस्ट

3. अन्य (स्पष्ट नाम लिखें)..........................4. दस्तावेज पंजीकृत / अपंजीकृत

(ब) भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर .... खसरा नं0...

(स) महाविद्यालय के उपयोगार्थ उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर ....

(भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट संलग्न करें)

2. भवन :–

1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से क्रय 3. दान से

(अ) भवन का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय 2. समिति / ट्रस्ट

3. अन्य(स्पष्ट नाम लिखें) ....4.दस्तावेज (पंजीकृत / अपंजीकृत)

(ब) भवन का क्षेत्रफल वर्ग मीटर ....खसरा नं0..................................

कक्षों की संख्या व आकार लिखें :–

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	उपाचार्य कक्ष	स्टाफ रूम	कार्यालय कक्ष	भंडार कक्ष	क्रीडा कक्ष
मापवर्गफुटमें						
कमरा नं.						

अकादमिक

कक्षा कक्षों की कुल संख्या ...		प्रयोगशाला की कुल संख्या.......	पुस्तकालय	वाचनालय
मापवर्गफुटमें				
कमरा न				

छात्र सुविधाएं

कामन रूम	साईकिल स्टेण्ड	जल भंडारण	पुरूष टायलेट्स	महिला टायलेट्स

13.4 भाग – 'द'
अकादमिक सूचनाओं का विवरण

3.सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम ....

4. संस्था को पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/ ....
प्रमाण पत्रों तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पत्रों
की प्रति (फोटो प्रति संलग्न करें)

5. संचालित संकाय/विषय(ऐच्छिक विषयों सहित) ....

....

5.1 **नवीन प्रस्तावित विषय** ....

....

6. सम्बद्धक विश्वविद्यालय में चाहे विषय/सकाय
उपलब्ध होने बावत् शपथ पत्र की प्रति ....

7. महाविद्यालय हेतु नियुक्त किये गये/किये जाने वाले स्टाफ का विवरण –

क0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	
2	व्याख्याता	
3	पुस्तकालयाध्यक्ष	
4	पी.टी.आई.	
5	कार्यालय स्टाफ	
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
7	अन्य	

8. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का विवरण प्रत्येक शिक्षक की अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र (केवल यूजीसी योग्यात प्रमाण पत्र ही संलग्न करें)

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी / अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	मूल वेतन	मासिक वेतन एवं भत्ते	भविष्य निधि अंशदान

9. महाविद्यालय में उपलब्ध अशैक्षणिक स्टॉफ का विवरण । कर्मचारी की शैक्षणिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें (केवल अंतिम योग्यता प्रमाण पत्र ही संलग्न करें)

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी / अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	मूल वेतन	मासिक वेतन एवं भत्ते	भविष्य निधि अंशदान

10. गत तीन वर्षो में महाविद्यालय में संकायवार, कक्षावार एवं ....
विषयवार नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत छात्रो की संख्या ....
(सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)

11. गत तीन वर्षो का परीक्षा परिणाम संलग्न करें ....
(सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)

13.5 भाग — 'र'

घोषणा पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री...............................

अध्यक्ष/सचिव...एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की घोषणा करता/करती हूँ कि–

1 महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमो व नीतियों के अनुसार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरूद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

4. महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जावेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता हे तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

5. महाविद्यालय का संचालन हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (Intoto) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

6. संस्था द्वारा तीन वर्ष की अवधि में स्वंय की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जावेगा।

7. महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन–देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय–व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर आडिट कराया जायेगा।

8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को क्रमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगी।

9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर मय दिनांक
(अध्यक्ष/सचिव प्रबंध समिति)

6